

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 तथा समय-समय पर किए गए संशोधन आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक:-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सीएफ/19626/मूलमान्यता/16-17/11 दिनांक-05.08.16 तथा पत्रांक:-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सीएफ/19626/ऑनलाइन मान्यता/16-17/36 दिनांक-02.09.2016 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2016-17 से उच्च प्राथमिक स्तर (अंग्रेजी माध्यम) तक की क्रमोन्नति की स्वीकृति पैनल दल की अभिशंषा के आधार पर प्रदान की जाती है। शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 व कक्षा 8 संचालित करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार/ विभागीय आदेश/ निर्देशों की पालना नहीं करने एवं विपरीत परिस्थिति पाए जाने पर मान्यता/क्रमोन्नति निरस्त कर दी जाएगी।

क्रम सं.	शिक्षण संस्था का नाम	शिक्षण संस्था का पता	क्रमोन्नति स्तर	माध्यम
1.	LITTLE FLOWER CONVENT SCHOOL	नागौर रोड एन एच 89 नोखा, ब्लॉक नोखा	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक:-जिशिअ/प्रारं/बीका/आरटीई/ऑनलाइन मान्यता/2016-17/13453-13457 दिनांक:-23.01.2017
प्रतिलिपि:-निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) राजस्थान सरकार
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
3. सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
4. संस्था प्रधान, LITTLE FLOWER CONVENT SCHOOL
5. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

Manager
Little Flower Convent School
Nokha - 334803

Principal
Little Flower Convent School
Nokha - 334 803